जैव विविधता अधिनियम 2002
व
जैव विविधता नियम 2007

झारखण्ड जैवविविधता बोर्ड

राज्य कार्यक्रम इकाई (UNDP-GOI Biodiversity Project)

वन भवन, डोरण्डा, राँची -834002

फोन / फैक्स : 0651-2480655, ई-मेलः ccf_wildlifejhk@hotmail.com,Saibal.dey@undp.org

जैवविविधता अधिनियम, 2002
संक्षिप्त विवरण

चेप्टर 1 –धारा 1 – जैवविविधता अधिनियम, 2002 संपूर्ण भारत वर्ष राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से लगा लागू '' 5 फरवरी 2003''

धारा 2 – परिभाषायें।

चेप्टर 2 – **धारा 3 – राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण की अनुमति बिना जैव संशाधन उपयोग, शोध संबंधी क्रियाकलाप पर रोक।**

धारा 4 – राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण की अनुमति के बिना शोध के परिणाम का हस्तांतरण किसी विदेशी संस्था अथवा व्यक्ति को न दे सकने के संबंध में।

धारा 5 – धारा 3 व 4 के प्रावधान शैक्षणिक एवं भारत शासन के अन्य संस्थानों पर लागू नही होगें।

धारा 6 – कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण की अनुमति के बिना **IPR** हेतु आवेदन नही दे सकता है ।

धारा 7 – व्यवसायिक उपयोग हेतु जैव संसाधन प्राप्त करने हेतु जैवविविधता बोर्ड को सूचना देना अनिवार्य

चेप्टर 3 – **धारा 8 – राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण के गठन के संबंध में।**

धारा 9 – राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण के **Chairperson** के संबंध में।

धारा 10 – राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण **Chairperson** की **Powers & Duties** के संबंध में।

धारा 11 – राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण के किसी सदस्य अथवा सदस्यों को हटाने के संबंध में।

धारा 12 – राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण की मीटिंग के संबंध में।

धारा 13 – राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण की अधीनस्थ विभिन्न कमेटी एवं ग्रुप बनाने के संबंध में।

धारा 14 – राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण के कर्मचारी एवं अधिकारी नियुक्त करने के संबंध में।

धारा 15 – समस्त आदेश राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण **Chairman** की तरफ से अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर से।

धारा 16 – राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण किसी अधिकारी अथवा सदस्य को **Certain Power** डेलीगेट कर सकता है।

धारा 17 – राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण के समस्त व्यय भारत शासन की संचित निधि से होगें।

चेप्टर 4 – **राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण के उत्तरदायित्व एवं शक्तियां**

धारा 18 – धारा 3, 4 एवं 6 के संबंध में दिशानिर्देश बनाना।

चेप्टर 5 – धारा 19 – जैव संशाधनों पर शोध एवं व्यवसायिक उपयोग हेतु राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण की अनुमति हेतु नियम प्रक्रिया ।

धारा 20 - शोध के परिणाम का हस्तांतरण राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण की अनुमति से नियम प्रक्रिया ।

धारा 21 - जैव संशाधनों के व्यवसायिक उपयोगसे उद्‌भुत लाभांश का न्यायपूर्ण समुचित एवं बराबरी का वितरण बावत।

चेप्टर 6 - राज्य जैवविविधता बोर्ड

धारा 22 - प्रदेश के राजपत्र से राज्य जैवविविधता बोर्ड कागठनअध्यक्ष एवं सदस्यों की संख्या बावत निर्देश ।

धारा 23 - जैवविविधता बोर्ड के उत्तरदायित्व जैवविविधता संरक्षण, संवहनीय उपयोग, लाभांश का समुचित वितरण जैव संशाधनों के व्यवसायिक इस्तेमाल की अनुमति एवं जैवविविधता अधिनियम के धाराओं का पालन।

धारा 24 - जैव संशाधनों के दुरूपयोग को रोकने की शक्तियां।

धारा 25 - नियम 9 से 17 को कुछ संशोधनों के साथ उपयोग की शक्ति।

चेप्टर 7 - राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण का वित्त, लेखा एवं अंकेक्षण

धारा 26 - केन्द्र शासन द्वारा ग्रांट अथवा ऋण दिया जाना ।

धारा 27 - राष्ट्रीय जैवविविधता निधि का गठन ।

धारा 28 - वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन तैयार करना।

धारा 29 - राष्ट्रीय लेखा संपरीक्षा नियमानुसार समस्त लेखा, वित्तीय रिकार्ड एवं अंकेक्षण के संबंध में।

धारा 30 - संसद के समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन का रखा जाना।

चेप्टर 8 - राज्य जैवविविधता बोर्ड के वित्त, लेखा एवं अंकेक्षण

धारा 31 - राज्य शासन द्वारा ग्रांट का दिया जाना।

धारा 32 - राज्य जैवविविधता निधि का गठन।

धारा 33 - वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन तैयार करना एवं शासन को भेजना ।

धारा 34- वार्षिक लेखा का रखा जाना एवं इसका अंकेक्षण।

धारा 35 - राज्य जैवविविधता बोर्ड का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन तैयार करना एवं विधानसभा के पटल पर रखना।

चेप्टर 9 - Duties of Centeral & State Govt.

धारा 36 - जैवविविधता एवं जैवसंशाधन के संरक्षण, संवर्धन, संवहनीय उपयोग हेतु आदेश नियम, कार्यप्रणाली प्रोग्राम आदि के संबंध में।

धारा 37 - जैवविविधता संपन्न क्षेत्रों को जैवविविधता हेरिटेज साइट घोषित करने के संबंध में ।

धारा 38 - विलुप्त अथवा विलुप्त प्राय: प्रजातियों के संरक्षण के संबंध में केन्द्र शासन की शक्ति।

धारा 39 - केन्द्र शासन को **Repositories** संग्रहालय घोषित करने की शक्ति।

धार 40 - केन्द्र शासन को कुछ जैव संशाधनों पर अधिनियम से छूट देने की शक्ति।

चेप्टर 10- जैवविविधता प्रबंधन समितियां

धारा 41 - 1. प्रत्येक स्थानीय संस्था जैवविविधता संरक्षण, संवर्धन,संवहनीय उपयोग जैवविविधता दस्तावेजीकरण संपूर्ण क्षेत्र का संरक्षण, का **Landrace** का संरक्षण **cultiver & folk variety** का संरक्षण पालतू जानवरों एवं उनके स्थानीय ब्रीड का संरक्षण, **Micro organism** एवं **Traditional Knowledge** का संरक्षण आदि हेतु जैवविविधा प्रबंधन समिति का गठन करेगी।

2. राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण एवं राज्य जैवविविधता बोर्ड इन नियमों के तहत व्यवसायिक उपयोग हेतु अनुमति देने के पूर्व जैवविविधता प्रबंध समिति का अभिमत लेंगे।

3. जैवविविधता प्रबंध समितियां अपनें कार्य क्षेत्र से जैव संशाधन के व्यवसायिक उपयोग हेतु परिवहन पर **Fee** लगा सकेंगी।

चेप्टर 11- स्थानीय जैवविविधता निधि

धारा 42 - अधिनियम से संचलन हेतु ग्रांट अथवा लोन के संबंध में।

धारा 43 - स्थानीय जैवविविधता निधि का गठन

1. धारा 42 के अंतर्गत प्राप्त ग्रांट
2. राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण से प्राप्त ग्रांट अथवा ऋण
3. राज्य जैवविविधता बोर्ड से प्राप्त ग्रांट अथवा ऋण
4. **Section** 41 (3) के अनुसार प्राप्त ''फी''
5. राज्य शासन द्वारा निर्देशित अन्य कोई राशि।

धारा 44 - प्राप्त निधि का जैवविविधता संरक्षण एवं संवर्धन हेतु उपयोग।

धारा 45 - किय गये व्ययों का वार्षिक लेखा तैयार कर संबंधित स्थानीय संस्थ को दिया जाना ।

धारा 46 - राज्य शासन के निर्देशों के तहत लेखा अंकेक्षण ।

धारा 47 - प्रत्येक स्थानीय संस्था वार्षिक रिपोर्ट बनाकर जिला कलेक्टर को देगी।

चेप्टर 12 -विविध

धारा 48 - राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण केन्द्र शासन के निर्देशों एवं आदेशों को मानने हेतु बाध्य।

धारा 49 - राज्य जैवविविधता बोर्ड प्रदेश शासन के निर्देशों एवं आदेशों को मानने हेतु बाध्य ।

धरा 50 - राज्य जैवविविधता बोर्ड आपसी विवाद राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण के हस्तक्षेप से निपटाये जायेगें। इसके नियम व शक्तियां।

धारा 51 - राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण एवं राज्य जैवविविधता बोर्ड के अधिकारी एवं कर्मचारी ''लोक सेवक'' माने जायेंगे।

धारा 52 - राज्य जैवविविधता बोर्ड एवं राष्ट्रीय जैवविविधता के आदेशों के विरूद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकेगी।

धारा 53 - उच्च न्यायालय का आदेश राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण एवं राज्य जैवविविधता पर बंधनकारी होगा।

धारा 54 - शासकीय हित में किये गये कार्यो पर **Act** का संरक्षण।

धारा 55 - धारा 3, 4, 6 के अंतर्गत किये गये अपराध के लिये 5 वर्ष की जेल 10 लाख तक **Penalty** यदि क्षति 10 लाख से से ज्यादा है तो जितनी क्षति है उतनी **Penalty** दोनों धारा 7 के उल्लघंन अथवा धारा 24 (2) के द्वारा पारित आदेश के उल्लघंन पर 3 वर्ष तक का कारावास 5 लाख तक **Penalty** अथवा दोनों।

धारा 56 - केन्द्र शासन, राज्य शासन, राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण, राज्य जैवविविधता बोर्ड के आदेश के उल्लघंन पर 1 लाख रूपये **Penalty** दूसरी बार उल्लघंन पर 2 लाख **Penalty** लगातार उल्लघंन पर 2 लाख रूपये प्रतिदिन अतिरिक्त **Penalty** अधिरोपित हो सकेगी।

धारा 57 - किसी भी कंपनी द्वारा अपराध घटित होने पर उसका प्रभारी अधिकारी जिम्मेदार होगा।

धारा 58 - इन नियमों के तहत अपराध संज्ञेय एवं अजमानलीय होंगे। **"Cognizable and non boilable**

धारा 59 - इस अधिनियम की धारायें अन्य अधिनियमों के अतिरिक्त प्रभावी होगें।

धारा 60 - केन्द्र शासन किसी भी राज्य सरकार को इस नियम की किसी भी धारा अथवा उसके किसी भी आदेश को मानने हेतु निर्देश दे सकेगी।

धारा 61 - केन्द्र शासन अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की रिपार्ट पर कोई कोर्ट अपराध का संज्ञान लेगी।

धारा 62 - केन्द्र शासन को इस अधिनियम में उल्लेखित विषयों हेतु नियम बनाने की शक्ति।

धारा 63 - राज्य शासन को अधिनियम में उल्लेखित विषयों हेतु नियम बनाने की शक्ति।

धारा 64 - राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण को भारत शासन के अनुमोदन से नियम बनाने की शक्ति।

धारा 65 - इन नियमों के क्रियान्वयन में आने वाली दिक्कतों को हल करने हेतु केन्द्र शासन आदेश कर सकती है। उक्त आदेश को अतिशीघ्र दोनों सदनों में पटल पर खना होगा।

केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के दायित्व

36 - (1) केन्द्र सरकार जैव संशाधनों के संरक्षण, संवर्धन एवं संवहनीय उपयोग के लिये कार्ययोजना, प्रोग्राम एवं रणनिति बना सकती है। इसके साथ जैवविविधता संपन्न क्षेत्रों की पहचान, स्थानीय प्रजातियों का संरक्षण एवं बाहरी प्रजातियों का रोपण जैव संशाधनों का संरक्षण, जैवविविधता आधारित शोध, प्रशिक्षण, जन शिक्षा, जन शिक्षा, जागरूकता को बढ़ावा दे सकती है।

(2) यदि केन्द्र सरकार के पास विश्वास करने के पर्याप्त कारण है कि किसी क्षेत्र की जैवविविधता, जैवसंशाधन एवं वहाँ की पारिस्थितिकीय संरचना पर अधिक, उपयोग, लापरवाही, दुरूपयोग से नष्ट होने का खतरा है। तब वह प्रदेश सरकार को आवश्यक कदम उठाने हेतु निर्देश दे सकेगी तथा तकनीकी एवं अन्य सहायता उपलब्ध करायेगी।

(3) केन्द्र सरकार जहाँ भी संभव हो एवं उसे उचित लगे वहाँ जैवविविधता के संरक्षण हेतु संवर्धन एवं संवहनीय उपयोग हेतु प्रोग्राम दिशानिर्देश एवं रणनीति का समावेश कर सकेगी।

(4) केन्द्र सरकार निम्नानुसार कार्य योजना लागू कर सकती है।

(I) जब भी आवश्यक हो उसको किसी प्रोजेक्ट के पर्यावरणीय एवं जैवविविधता पर पर्यावरणीय प्रभाव एवं दुष्प्रभाव का आकलन **Public Participation** जब साधारण के सहयोग करना चाहिये ताकि इसको टाला जा सके अथवा कम किया जा सके।

(II) जैवप्रौद्योगिकी **(Biotechnology)** से **Living Modified organism** से **Related Risk** जिनका जैव संशाधनों एवं **Human Health** मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव हो रहा है तो केन्द्र सरकार उसको **Regulate** कर सकती है।

(5) जैवविविधता आधारित **Traditional knowledge** परंपरागत ज्ञान के संरक्षण का प्रयास करना है। इसके लिये राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की अनूशंसा पर इस ज्ञान का दस्तावेजीकरण एवं पंजीयन स्थानीय, प्रदेश स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर पर किया जाना है एवं इसको संरक्षित एवं **Suit generic system** के साथ।

Explanation:-

(a) Ex-situ- प्राकृतिक रहवास के बाहर प्रजातियों ''जैवविविधता'' का संरक्षण

(b) **In situ conservation:-** परिस्थितिकीय एवं प्राकृतिक संशाधनों का रख रखाव एवं प्रजातियों का उनके प्राकृतिक परिवेश के पुन: लाना **in case of Domesticated & Cultivated** प्रजातियों का उनके प्राकृतिक परिवेश मे प्राकृतिक गुणों के साथ संरक्षण एवं विस्तार।

37 - (i) प्रदेश सरकार स्थीनीय संस्थाओं के परामर्श से जैवविविधता संपन्न क्षेत्रों को **Biodiversi ty Heritage site** राजपत्र में प्रकाशन द्वारा घोषित कर सकती है।

(ii) प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार से परामर्श करके इन **Heritage site** के संरक्षण तथा रख रखाव के लिये नियम बना सकती है।

(iii) इस तरह के **Heritage site** के **Notification** से किसी व्यक्ति अथवा समुदाय के विस्थापन से होने वाली क्षतिपूर्ति हेतु स्कीम अथवा कार्यक्रम बना सकेगी।

38 - केन्द्र सरकार राज्य शासन के परामर्श से खत्म हो रही अथवा निकट भविष्य में खत्म होने जा रही प्रजाति अथवा प्रजातियों को संरक्षित घोषित कर सकती है तथा इसके संग्रहण को नियंत्रित अथवा प्रतिबंधित कर सकती है । तथा इसके संरक्षण एवं संवर्धन हेतु उपयुक्त कदम उठा सकती है।

39 -

1. केन्द्र शासन राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण के परामर्श से किसी भी संस्थान को जैव संशाधन हेतु **Repositories** घोषित कर सकती है।
2. उक्त **Repositories** जैव सामाग्री एवं उनके अवयव को सुरक्षित प्रभार में **Safe custody** में रखेंगी।
3. किसी भी नये **Taxon** के आविष्कार करने वाले व्यक्ति को इस तरह घोषित **Repositories** को विवरण उपलब्ध कराना होगा एवं इसका **Specimen** जमा करना होगा।

'' **Notification** संलग्न है।''

40 - केन्द्र सरकार राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण के परामर्श से राजपत्र में प्रकाशन द्वारा इस अधिनियम की धाराओं से किसी भी जैव संशाधन को अलग कर सकती है।

41 -

1. प्रत्येक स्थानीय संस्था जैवविविधता संरक्षण, संवर्धन, संवहनीय उपयोग जैवविविधता दस्तावेजीकरण संपूर्ण क्षेत्र का संरक्षण, **Landrace** का संरक्षण, **Cultivar** - विसा **variety** का संरक्षण पालतू जानवरों एवं उनके स्थानीय ब्रीड का संरक्षण, **Micro organism** एवं **Traditional Knowledge** का संरक्षण आदि हेतु एक जैवविविधता प्रबंधन समिति का गठन करेगी।
2. राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण एवं राज्य जैवविविधता बोर्ड इन नियमों के तहत व्यवसायिक उपयोग हेतु अनुमति देने के पूर्व जैवविविधता प्रबंध समिति का अभिमत लेंगे।
3. जैवविविधता प्रबंध समितियाँ अपने कार्य क्षेत्र से जैव संशाधन के व्यवसायिक उपयोग हेतु परिवहन पर **Fee** लगा सकेंगी।

जैव विविधता प्रबंधन समितियों द्वारा किये जाने वाले मुख्य कार्य

1. **जैव विविधता संरक्षण**
   1. शिक्षा द्वारा जागरूकता, प्रचार-प्रसार, मीटिंग, सेमिनार, प्रशिक्षण, नारे, पंपलेट, नुक्कड- नाटक, कठपुतली, कवितायें, लेख आदि द्वारा
   2. जैव विविधता निधि का संरक्षण एवं सामाजिक कार्यो हेतु उपयोग
   3. स्थानीय प्रजातियों का संरक्षण **''In-situ'' Conservation** संरक्षण
   4. समाप्त होने वाली प्रजातियों का रोपन **Ex-situ conservation** संरक्षण
   5. जैव विविधता आधारित आजीविका के साधन बढाना
   6. जैव विविधता संपन्न क्षेत्रों का भ्रमण करना एवं कराना
2. **जैव विविधता का संवहनीय उपयोग:-**
   - संग्रहण के समय का प्रकाशन - महुआ, आवंला, चिरोंजी आदि हेतु

- संग्रहण की मात्रा की सहमति -
- संग्रहण पर प्रतिबंध -
- **Marketing** की समुचि व्यवस्था
- कुछ प्रजातियाँ पर कुछ समय के लिये रोक
- जैव विविधता आधारित **"Value addition Program"**

3. **जैव विविधता दस्तावेजीकरण** -
   P.B.R. "People Biodiversity Register" या लोक जैवविविधता पंजी का निर्माण वन विभाग द्वारा **NGO** द्वारा
   1. जैव विविधता से प्राप्त लाभों के समुचित तवितरण
   2. भविष्य मे संरक्षित करने हेतु प्लान
   3. देशज ज्ञान का संरक्षण
4. **स्थानीय प्रजातियों की खेती को बढावा**
   1. रोग निरोधक एवं अन्य क्षमतावान फसलें
   2. शोध हेतु फसलें
5. **पालतू जानवरों की स्थानीय ब्रीड का संरक्षण**
   1. अच्छे पशुओं को प्रोत्साहन
   2. स्थानीय ब्रीड रखने हेतू प्रोत्साहन
   3. पुरानी ब्रीड पर पुरस्कार
6. **Micro organism जीवाणु**
   फन्जाई - मशरूम
   बेक्टीरिया - राइजोवियम - नाइट्रोजन फिक्शेसन
   एल्गी - बायोफर्टीलाइजर - धान में।
7. **देशज ज्ञान को बढावा**
   1. स्थानीय वैद्यों द्वारा किये जाने वाले ईलाज की पद्धतियों को संरक्षित एवं विकसित करना
   2. स्थानीय व्यक्तियों के ज्ञान को पंजीकृत कराना ।
   3. देशज ज्ञान का दस्तावेजी - करण एवं वैज्ञानिक आधार देना।
   4. स्थानीय उपचार पद्धति एवं जैव - विविधता का संरक्षित करना।
8. **स्थानीय प्रजातियों के व्यवसायिक उपयोग की अनुमति एवं स्थानीय ज्ञान के बाहरी व्यक्तियों द्वारा दुरूपयोग को रोकना।**
9. **जैव संसाधनों के व्यवसायिक उपयोग करने वालों से Fee लेना ।**
10. **स्थानीय व्यक्तियों को जैव संशाधन संरक्षित करने से होने वाले लाभों के बारे में समझना**
    1. वनपानी सोखने वाले कारक ''स्पंज''
    2. संवहनीय उपयोग
    3. लाभांश का वितरण एवं
    4. अनेकों अप्रत्यक्ष ।
11. **जैव विविधता संपन्न क्षेत्रों को जैव विविधता Heritage site घोषित करना एवं इसके रख रखाव हेतु भारत शासन से सहयोग प्राप्त करना।**
12. **Sacred Grooves के माध्यम से जैव विविधता संरक्षण को प्रोत्साहन देवी देवताओं का वास होने के कारण संरक्षित क्षेत्र एवं इस प्रथा पर विश्वास रखने वाले समूहों को बढावा। कई स्थानों पर वनों को देवताओं का स्थान एवं निवास मानकर संरक्षित रखकर पूजा जाता रहा**